-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 02.05.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2023 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अपनी पुत्री पर चाकू से हमला कर जान से मारने का प्रयास करने वाले पिता को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये जुर्मानें की सजा ।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2023 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अपनी पुत्री पर चाकू से हमला कर जान से मारने का प्रयास करने वाले पिता को मा0 न्यायालय द्वारा 10 वर्ष की सजा दिलाई गई । गौरतलब हो कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्र क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति सुनील पुत्र शम्भू द्वारा दिनांक 01.09.2023 को अपनी 12 वर्षीय पुत्री पर चाकू से हमला कर जान से मारने का प्रयास किया गया था । जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 679/23 धारा 307/324/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री हरभजन सिंह द्वारा सम्पादित की गयी । विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था । लोक अभियोजक श्री सुशील कुमार तिवारी द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी नितीश कुमार तथा पैरोकार आरक्षी सुजीत कुमार के अथक प्रयासों से अभियुक्त को मा0 न्यायालय बांदा द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

अभियुक्त-

1. सुनील पुत्र शम्भू निवासी बिजली खेड़ा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा